न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–73 / 2020 दायर दिनांक: 09.07.2020

GCMS NO:- 2020/00122

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. श्रीलाल पुत्र दल्ला जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. भैरूप्रकाश पुत्र शंकर जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. कन्हैयालाल पुत्र नाथूलाल जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. महावीर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
2. मोतीशंकर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
3. मनराज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
4. मदनलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
5. ईश्वर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
6. शेखर पुत्र ईश्वर जाति धाकड निवासी ग्राम डोकून तहसील नैनवॉ जिला बून्दी।
7. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 26.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम डोकून पटवार हल्का डोकून तहसील नैंनवां की खसरा सं. 497 रकबा 3 बिस्वा,खसरा सं. 501 रकबा 07 बिस्वा, खसरा सं. 494 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन खलियान स्थित है।यह कि उक्त भूमियां प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि है व खसरा संख्या 494 सिवाय चक कब्जा की है जिनमें प्रार्थीगण के खलियान मकान बने हुऐ है जिनको प्रार्थीगण रहने, उठने, बैठने, मवेशी बांधने, फसल रखने, चारा रखने इत्यादि के काम में लेते चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण की कृषि भूमि में काश्त करने के लिए एक मात्र रास्ता ग्राम डोकून से जीवनपुरा जाने वाले रास्ते से भूमि खसरा संख्या 513 सिवायचक भूमि में होकर खसरा संख्या 495 की मेड से होकर पहूँचता है। इस रास्ते को परिशिष्ट अ में लाल रंग से दिखाया गया है। प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आते जाते है व ट्रेक्टर ट्रोली कृषि उपज लाते ले जाते है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है किं प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की व कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शाये गये स्थान पर 25 फूट चौडा रास्ता राजस्व नक्शे व राजस्व रिकॉर्ड में तथा मौके पर कायम करवायें। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र, आदि पेश किये।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने भूमि खसरा संख्या 494 रकबा 05 बिस्वा में आने जाने हेतु रास्ता चाहा है जो सिवायचक दर्ज है जिसका मालिकाना हक एवं अधिकार प्रार्थीगण का नहीं है। भूमि खसरा संख्या 497 गैरमुमकिन खलियान एवं खसरा संख्या 501 बारानी–1 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त खसरा संख्या 497 एवं 501 में आने जाने हेतु मौके पर अलग–अलग रास्ते उपलब्ध है जो वर्तमान में भी चालू है जिनका उपयोग प्रार्थीगण करते चले आ रहे है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (बून्दी)

कि खसरा संख्या 495 की मेड के सहारे प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नही रहा है। खसरा संख्या में आने जाने के लिए नहर के सहारे का रास्ता उपलब्ध है जो काफी चौडा है जो कि एक आम रास्ता है। प्रार्थीगण ने प्रत्यार्थीगण के खातेदारी आधिपत्य की भूमि खसरा संख्या 495 रकबा 01 बिस्वा भूमि को जिसमें प्रार्थी ने बाडा बना रखा है एवं निवास भी करता है, को उक्त भूमि से भगाने व बेदखल करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर पूर्णतः झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है।

प्रार्थना पत्र में रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार मौका पर्चा मु0 डोकून दिनांक 22.10.2021 के अनुसार मौके पर वर्तमान में जिस जगह रास्ता (विवादित) निकला हुआ है उसके आस पास आबादी मकान बाडे होने से स्पष्टतया यह पुष्टि नही होती है कि रास्ता किन किन खसरा नम्बर में होकर निकल रहा है। रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट अ में दर्शाये अनुसार रास्ता दिये जाने से वादीगण की शामलाती खातेदारी भूमि खसरा संख्या 497 व 500 की भूमियों सहित खसरा नम्बर 494,498,499,513 की भूमियां रास्ते में आती है। प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 494,495 व 496,497,498,500 के बीच की मेर पर खसरा नं0 513 में से होते हुए रास्ता दिये जाने में निम्नानुसार भूमि रास्ते में आती है–

खसरा नम्बर	रास्ते में आयी भूमि ल0 x चौ0	क्षेत्रफल वर्गफीट
513 (सिवा0) गै0मु0 बर्डा	53 X 13	689
494 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	86 X 6	516
498 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	33 X 6	198
499 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	20 X 6	120
495 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	66 X 3	198
496 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	20 X 9	180
497 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	46 X 9	414
500 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	33 X 6	198

वाद पत्र में अंकित भूमि खसरा संख्या 497,501,504 में आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार ही तैयार किया गया है। नक्शा लट्ठा फटा हुआ है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, जवाब अप्रार्थीगण एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट डोकून प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः ग्राम डोकून पटवार हल्का डोकून तहसील नैंनवां में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 494,495 व 496,497,498,500 के बीच की मेर पर खसरा नं0 513 में से होते हुए रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते में निम्नानुसार भूमि उपयोग में आयेगी–

खसरा नम्बर	रास्ते में आयी भूमि ल0 x चौ0	क्षेत्रफल वर्गफीट
513 (सिवा0) गै0मु0 बर्डा	53 X 13	689
494 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	86 X 6	516
498 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	33 X 6	198
499 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान	20 X 6	120
495 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	66 X 3	198
496 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	20 X 9	180
497 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	46 X 9	414
500 खातेदारी गै0मु0 खलिहान	33 X 6	198

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

उक्तानुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है, रास्ते के उपयोग में वाली खसरा संख्या 513 (सिवा0) गै0मु0 बर्डा, 494 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान, 498 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान, 499 (सिवा0) गै0मु0 खलिहान, 495 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, 496 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, 497 खातेदारी गै0मु0 खलिहान, 500 खातेदारी गै0मु0 खलिहान के रास्ते के उपयोग वाले हिस्से को गै0 मु0 रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव वास्ते अनुमोदन श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को प्रेषित किया जावे। परिशिष्ट "क" में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से रास्ता दर्शाया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है जो न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में मौके पर आस पास आबादी मकान बाडे होने से खसरा नम्बर की स्पष्टतया पुष्टि नही होने का अंकन किया गया है। अतः तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के अनुमोदन के बाद जीपीएस टीम से समन्वय स्थापित कर मौके पर सही स्थिति का आंकलन कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:15:17 IST
Reason: SelfAttested